न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/129/2025 दायर दिनांकः–08.09.2025 रजि0 न0 2025/334

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री दिनेश कुमार खाण्डल पुत्र श्री सुरेश चंद खाण्डल केयर ऑफ श्री दुर्गेश खाण्डल, साईट नं० 28/3, 5वां, ए मैन रोड़ एनआरआई लेआउट, रामागुथी नगर, नियर वैशणव वृशब अपार्टमेंट, बेंगलुरू, कर्नाटक–560016	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 23.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 30.07.2025 के परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की सूचना नही मिलने बाबत अभिकथन किया गया है ।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील लो०सू०अ०/प्रथम अपील/2025/1190 पेश कर अवगत कराया गया है कि दिनांक 18.09.2025 को अपीलार्थी के सूचना आवेदन ऑफलाइन दिनांक 30.07.2025 तथा ऑनलाइन पोर्टल पर दिनांकः 05.08.2025 को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार RTI Online Portal पर जरिये Application No. 293048671782965 दिनांकः 05.08.2025 दर्ज रजिस्टर किया गया। आवेदन में वांछित सूचना इस लोक प्राधिकरण से संबंधित नहीं है साथ ही कोई विशिष्टीकृत आदेश/पत्र/परिपत्र आदि का स्पष्ट अंकन किए जाने के स्थान पर ई–मेल्स पर कार्यवाही किए जाने हेतु पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) धारा 7(9) एवं धारा 8(1)(जे) के आलोक में विधि अनुरूप आवेदन नहीं होने के कारण उपरोक्तानुसार पत्र सं० 8308873645 दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है। उक्त आलोक में अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पत्र रा. 8308873645 दिनांक 08.08.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निरतारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 023.09.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर